विवाद्यक बिन्दु (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र मोहम्मद शरीफ, जमीरदीन के प्रस्तुत किये एंव साथ ही नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा रूपनगर के खाता संख्या 68 प्रदर्श–1 एवं दान पत्र दिनांक 28.05.2019 की छाया प्रति प्रदर्श 2 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत दान पत्र की छाया प्रति का अवलोकन किया गया। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। तहसीलदार जायल को परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– :: आदेश ::–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 जमीरदीन के 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 मोहम्मद शरीफ के 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 निजमूदीन के 1/4 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 3 सिलमूदीन के 1/4 हिस्सा सह हक वंट कब्जे काश्त में मौजा रूपनगर के खसरा नम्बर 473 रकबा 0.4694 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 571 रकवा 4.5325 हैक्टेयर रखे जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. उक्त खसरान में से वैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेाग। बैंक सूचित हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सहायक कलेक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल)

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

निर्णय आज दिनांक 23/09/15 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner